



Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council

उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून

दूरभाष:- 0135-2728227, फ़ैक्स:-0135-2728226 ई-मेल: mpr@doiuk.org



:: नोटिस ::

विकास आयुक्त(हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से "स्टेट हैण्डलूम एक्सपो (SHE)" का आयोजन दिनांक: 25.01.2024 से 07.02.2024 तक रेसकोर्स ग्राउण्ड, बन्नू स्कूल, रेसकोर्स, देहरादून में उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद् द्वारा किया जा रहा है।

2. इस एक्सपो में प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के शीर्ष/प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/हथकरघा संगठनों/व्यक्तिगत बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। एक्सपो में भारी संख्या में आगन्तुकों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है।

3. उक्त एक्सपो में फूड कोर्ट स्थापित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न व्यंजनों (चाट, पाव भाजी/आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी/साउथ इण्डियन फूड, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न/पहाड़ी व्यंजन/राजस्थानी फूड/दूध, जलेबी, काठी रोल, चाउमीन, मोमो) के स्टॉल स्थापित किये जाने हैं।

उक्त के क्रम में कोटेशन के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में अल्पकालिक प्रस्ताव आमंत्रण विषयक प्रपत्र वेबसाइट www.doiuk.org से download कर, भौतिक रूप से निम्नानुसार जमा करा सकते हैं:-

- (i) कोटेशन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय : दिनांक: 24.01.2024 को दोपहर 02:00 बजे तक।
- (ii) कोटेशन जमा करने का स्थान उद्योग निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।

(डॉ० एम०एस०सजवाण)
उप निदेशक उद्योग,
कृते महानिदेशक/आयुक्त उद्योग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: ५२१-~~५२१~~/उ०नि०/०६/SHE/2023-24, देहरादून : दिनांक: २० जनवरी, 2024
प्रतिलिपि:निम्नलिखित विभाग/अनुभाग को प्रस्ताव आमंत्रण विषयक नोटिस इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त नोटिस को अपने विभागीय सूचना पट पर चस्पा करने का कष्ट करें।

1. नजारत अनुभाग, जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून।
2. नजारत अनुभाग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. नजारत अनुभाग, विकास भवन, देहरादून।

(डॉ० एम०एस०सजवाण)
उप निदेशक उद्योग,
कृते महानिदेशक/आयुक्त उद्योग,
उत्तराखण्ड।



Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council

उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।

दूरभाष:- 0135-2728227, 2520604 फैक्स:-0135-278226 ई-मेल: mpr@doiuk.org



अल्पकालिक प्रस्ताव आमंत्रण

दिनांक: 25.01.2024 से 07.02.2024 तक रेसकोर्स ग्राउण्ड, निकट बन्नू स्कूल, रेसकोर्स, देहरादून में स्टेट हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। एक्सपो में फूड कोर्ट के कार्य हेतु प्रतिष्ठित फर्मों/संस्थाओं से प्रस्ताव दिनांक: 24.01.2024 की सांय: 02:00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं, जो दिनांक: 24.01.2024 की सांय: 04:00 बजे तक उक्त कार्यालय में खोले जायेंगे।

2. फूड कोर्ट :- व्यंजनकारों द्वारा चाट, पाव भाजी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, साउथ इण्डियन फूड, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न एवं पहाड़ी व्यंजन, राजस्थानी फूड, दूध, जलेबी, काठी रोल, चाउमीन, मोमो आदि व्यंजनों के स्टॉल हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हैं। प्रस्ताव के साथ रू0 20,000.00(रू0 बीस हजार मात्र) की जमानत धनराशि UHHDC(Fair & Exhibition) के पक्ष में देहरादून के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु आवेदन-पत्र एवं अन्य नियम व शर्तें उद्योग निदेशालय की वेबसाईट www.doiuk.org पर दिनांक: 24.01.2024 की दोपहर 02:00 बजे तक उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ आवेदन-शुल्क/प्रस्ताव की राशि रू0 1,000.00(रू0 एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट UHHDC(Fair & Exhibition) के पक्ष में देहरादून के नाम आवेदन-प्रपत्र/प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना होगा।

परिषद को सभी प्रस्तावों/किसी भी एक प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग,
उत्तराखण्ड।



फूड कोर्ट के प्रस्ताव का आवेदन प्रपत्र

1. (अ) फर्म/संस्था/निगम/परिषद का नाम.....
(ब) पता.....
(स) दूरभाष संख्या.....
(द) फ़ैक्स संख्या.....
2. व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं तिथि.....
3. आयकर पैन नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर.....
.....
4. अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाईसेन्स प्रमाण-पत्र संख्या
व दिनांक की स्वप्रमाणित प्रति।
5. फूड स्टॉल के प्रस्ताव के आवेदन-पत्र का मूल्य रू0 1,000/-
का बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक का विवरण.....
6. जमानत राशि रू0 20,000.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या व
दिनांक का विवरण
7. विगत वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण(छायाप्रति संलग्न करें) सम्बन्धित कार्य की कुल राशि
(विभाग/संस्था/संगठन/निगम का नाम व पता, जहां सम्बन्धित (रूपये में)
कार्य किया गया है)।
(i)
(ii)
(iii)
6. टिप्पणी:-निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(i) फूट कोर्ट आवेदन प्रपत्र की फीस रू0 1,000/- का बैंक ड्राफ्ट(मूल में)।



- (ii) जमानत राशि रू0 20,000.00 का बैंक ड्राफ्ट(मूल में)।
- (iii) व्यापार कर रजिस्ट्रेशन की स्व:प्रमाणित प्रति।
- (iv) गत तीन वर्षों की बैलेन्स-शीट एवं आयकर विवरणी।
- (v) पैन कार्ड/आधार कार्ड की स्व:प्रमाणित प्रति।
- (vi) उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत किसी भी विभाग/उपक्रम/निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट न किए जाने सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रमाण-पत्र।
- (vii) अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति।
- (ix) फूड कोर्ट के संचालन हेतु वित्तीय निविदा की न्यूनतम धनराशि रू0 2,00,000.00(रूपये दो लाख मात्र)

(फूड कोर्ट के संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में फर्म के लेटर हैड पर प्रस्तुत की जानी है, जिस पर फर्म का जीएसटी नम्बर/FSSAI नम्बर एवं प्रस्तावक के हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता अंकित होना चाहिये, जिसको पृथक से एक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य की न्यूनतम धनराशि रू0 2,00,000.00(रूपये दो लाख मात्र) निर्धारित की गयी है। आवेदन-कर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम धनराशि का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकार्य होगा।)

निर्धारित नियम एवं शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा फूड कोर्ट प्रस्ताव प्रपत्र से सम्बन्धित सभी शर्तें भली भांति पढ़/समझ ली गई हैं तथा मैं उन सभी शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता.....

.....

(फर्म की मुहर)



फूड कोर्ट के संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1. चयनित फर्म/व्यक्ति को आवश्यक लाईसेन्स/अनुमति-पत्र पुलिस, खाद्य, अग्निशमन, वाणिज्य कर, विद्युत विभाग आदि से स्वयं लेने होंगे।
2. फूड कोर्ट के सभी कार्मिक अनुभवी तथा स्वच्छ गणवेश में होने चाहिये।
3. भोजन की स्वच्छता तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसकी सम्बन्धित विभाग द्वारा Random जाँच की जायेगी।
4. फूड कोर्ट(Food Court) के कार्य संचालन हेतु 10 Canopy Stall(3 x 3 sq.mtrs, Total Area 90 sq.mtr.), स्थापित किये जायेगे, जिसमें प्रति स्टॉल 02 टेबिल एवं 02 कुर्सी उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. फूड कोर्ट के अन्तर्गत व्यंजनकारों द्वारा चाट, पाव भाजी, भेल-पूरी, आइसक्रीम, गुड़िया के बाल, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पहाड़ी भोज, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, साउथ इण्डियन, दूध, जलेबी, काठी रोल, चाउमीन, मोमो के व्यंजन हेतु स्टॉल स्थापित किये जायेंगे।
नोट:- पॉप कॉर्न, गुड़िया के बाल, भेल-पुरी आदि व्यंजन विभाग द्वारा भी पृथक से संस्थाओं/फर्मों/व्यक्तियों को भी आवंटित किये जायेंगे।
6. फूड स्टॉल पर प्रयुक्त डिस्पोजेबल थाली-प्लेट-गिलास आदि Waste Material के लिये पर्याप्त कूड़ेदानों की व्यवस्था करनी होगी।
7. एक्सपो क्षेत्र में प्रतिबन्धित प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जायेगा।
8. फूड स्टॉल का संचालन दिनांक: 25.01.2024 से 07.02.2024 अर्थात प्रदर्शनी प्रारम्भ होने से किया जायेगा तथा समयावधि प्रातः 10:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रहेगी। इन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
9. फूड स्टॉल में व्यवसायिक सिलेण्डरों का प्रयोग ही अनुमन्य होगा।
10. चयनित फर्म/व्यक्ति फूड स्टॉल को किराये पर नहीं दे सकेगा।
11. चयनित फर्म/व्यक्ति को फूड स्टॉल की सम्पूर्ण राशि दिनांक: 24.01.2024 की सांय: 05:00 बजे तक जमा करनी होगी।
12. किसी भी प्रकार की टूट-फूट एवं विवाद के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. किसी कारणवश प्रदर्शनी की अवधि कम होने पर विभाग द्वारा पूर्ण/आंशिक धनराशि वापस नहीं की जायेगी।



Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council

उत्तराखण्ड हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड

औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।

दूरभाष:- 0135-2728227, 2520604 फ़ैक्स:-0135-278226 ई-मेल: mpr@doiuk.org



14. उक्त नियमों का अनुपालन न किये जाने पर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
15. किसी भी प्रकार के वाद के लिये न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।
मेरे द्वारा फूड कोर्ट के संचालन से सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तें भली-भांति पढ़/समझ ली गयी है तथा मैं उन सभी शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ।

दिनांक:

हस्ताक्षर
(फर्म की मुहर)